राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/ 1264-90 जयपुर,दिना 14.2

जिला कलेक्टर,
अजमेर,अलवर,बांसवाडा,बाडमेर,बारां,बीकानेर,
चुरू,डूगरपुर,जोधपुर,सिरोही,प्रतापगढ,कोटा,
जैसलमेर,झालावाड,नागौर,पाली एवं बून्दी ।

विषय:– अभाव संवत् 2070 में अभावग्रस्त जिलों में पंजीकृत गौशाला के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में दिशा–निर्दे

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1(1)(4) अ सआ/सामान्य/2013/734–800 दिनांक 28.01.2014 से आपके जिले को अभावग्र घोषित किया गया है। यह अवधि 31.07.2014 तक प्रभावी रहेगी। अभाव संवत 207 आपके जिले में अभावग्रस्त क्षेत्र की पंजिकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बडे एवं छ पशुओं हेतु एसडीआरफ नोर्म्स के अनुसार अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव प्रे करें। भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2013 को जारी राज्य आपदा मोचन नि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों में गौशाला अनुदान के लिए आपके जिले आवश्यकता अनुसार 30 दिवस की अवधि के लिए अधिकृत किया जाता है। इस लिये जिला कलेक्टर गौशालाओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में विभाग को भिजव सुनिश्चित करे। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने उपरान्त ही जिला कलेक्टर द्वारा तदानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

अनुदान स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा–निर्देश सहायता निर्देशिका अध्याय–6 बिन्दु सं. 6.1 से 6.3.4 में अंकित है। इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों पालना सुनिश्चित की जावें:–

1. अनुदान दर–
सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.6 में संशोधन अनुसार गौशाला द्वारा संधारित पशुओं में बडे पशु हेतु 50/– रूपये तथा छोटे पशु 25/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. पशु आहार–
(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जब गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बडे पशुओं हेतु तथा 1

कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। य
निर्धारित मात्रा में पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है
सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.11 के तहत वर्ष 2012
निर्धारित नई दरों के संशोधन अनुसार पशु आहार की रा
क्रमशः 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50 रूपये प्रति छोटे पशु
हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष राशि ही अनुदा
स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित अथवा राजफैड/आरसीडीए
द्वारा क्रय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जा
पर ही अनुदान देय होगा।

3. निरीक्षण मापदण्ड–

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले
पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण क
लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैः–

क्र. स.	नाम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/प. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के अधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/प. समिति

4. अनुदान की देयताः–

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
ख. पशुओं का रजिस्टर
ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उस प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण कि जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं क सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. भुगतानः—
गौशाला द्वारा सरंक्षित किये जा रहे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने एवं निर्धारित निरीक्षण किये जा के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार प अनुदान दिया जावे।

6. गत सम्वत मे कुछ अभावग्रस्त जिलो द्वारा या तो विभाग को प्रस्ता निर्धारित प्रपत्र मे नही भिजवाये गये है या जिलो द्वारा स्वयं के स्तर प ही गौशालाओं को स्वीकृत कर दिया गया। इस सम्बन्ध मे पुनः आपके निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप मे विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करे तथा विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर तदानुसार स्वीकृति जारी करे।

7. जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विभाग स्तर से आगामी सात दिवसों में कोई सूचना प्राप्त नही होती है तो जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में शासन सचिव अथवा शासन संयुक्त सचिव,आपदा प्रबन्धन एव सहायता विभाग से जानकारी प्राप्त कर गौशालाओं की स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही करे।

8. गौशाला अनुदान स्वीकृत हो जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक 10 दिवसों में उक्त गतिविधि में हुई प्रगति से अवश्य अवगत करावे। उक्त अनुदान पहली बार में 60 दिवस के लिए तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन से बढाया जा सकता है।

भवदीय

13/2/19

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0.., जयपुर।

2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज0., जयपुर।

3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।

4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।

5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।

6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेंर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर ।

7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।

8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।

9. गार्ड फाईल।

15|

शासन संयुक्त सचिव